बचपन का संरक्षण

साभार: द हिंदू
(28 नवंबर, 2017)

गरिमेला सुब्रमण्यम
(संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

यह शर्म की बात है कि वर्ष 2025 तक बाल श्रम का उन्मूलन करने का लक्ष्य कमजोर पड़ रहा है।

बाल श्रम समाप्त करने के लिए सरकार ने वर्ष 2025 का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके दो साल बाद, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित हुए एक सम्मेलन में 100 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहाँ इस सम्मेलन में कथित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई कि वर्तमान में जिस गति से इस संबंध में प्रयास किये जा रहे हैं, उस गति से तय समय-सीमा के अंदर बालश्रम को समाप्त नहीं किया जा सकता। निहितार्थ यह भी है कि वर्ष 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की समाप्ति के लगभग 20 साल बाद ही इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुमान है कि अब से आठ साल पहले, लगभग 121 मिलियन लड़के और लड़कियों को किसी न किसी विभिन्न व्यवसायों में शामिल रहेंगे। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, 5-17 वर्ष की आयु के 152 मिलियन बच्चे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान से लेकर 2025 के बीच सिर्फ 31 लाख बच्चों को ही बालश्रम जैसी गंभीर समस्या से बचाए जाने की संभावना है। क्योंकि इससे इनके मौलिक अधिकारों और अस्तित्व भी खतरे में आ जाते हैं।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सभी देशों द्वारा अपने प्रयासों को और अधिक मजबूत बनाने के लिये प्रत्येक वर्ष कम से कम 19 लाख बच्चों को बालश्रम के दायरे से बाहर निकालने के विकल्प तलाशने होंगे। यह गिरावट वर्तमान दर से पांच गुना अधिक है। आधुनिक लोकतांत्रिक मानदंडों के साथ असंगत अभ्यास को खत्म करने का यह एक शानदार रिकॉर्ड होगा।

भारतीय संसद ने बाल श्रम या मजदूरी से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर कानून और अधिनियम पारित किये हैं। 14 साल की आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री या खदानों में या खतरनाक रोजगारों (जहाँ जान जाने का ज्यादा जोखिम हो) में बाल मजदूरी को निषेध करने के लिये हमारे संविधान में अनुच्छेद 24 के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों को स्थापित किया गया है। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 को अन्तर्गत ये भी प्रावधान किया गया है कि एक राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा के लिये सभी आधारिक संरचना और संसाधन उपलब्ध करायेगा।

संविधान के तहत बच्चों की बाल श्रम से सुरक्षा का नियमन करने वाले कानूनों का एक समूह मौजूद है। कारखाना अधिनियम 1948, 14 साल तक के आयु वाले बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकता है। खदान अधिनियम 1986, 18 साल से कम आयु वाले बच्चों को खदानों में काम करना निषेध करता है। बाल श्रम अधिनियम (निषेध एवं नियमन) 1986, 14 साल से कम आयु वाले बच्चों को जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसायों में, जिन्हें कानून द्वारा निर्धारित की गयी सूची में शामिल किया गया है, में काम करना निषेध करता है। इसके अलावा, बच्चों का किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 ने बच्चों के रोजगार को एक दंडनीय अपराध बना दिया है।

इस समय यह लक्ष्य कई संकेतकों पर काल्पनिक मालूम पड़ता है। कुल मिलाकर, बाल श्रम में वर्ष 2016 तक (पिछले चार साल के दौरान) बालश्रम की दर में मात्र एक प्रतिशत की ही कमी दर्ज की गई। इसके विपरीत, 2012 तक इसी अवधि में तीन प्रतिशत अंको की कमी दर्ज की गयी थी। इस संबंध में सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि वर्ष 2012 के बाद से अभी तक के वर्षों में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बचाव के संबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। समान रूप से, इस अवधि में लड़कियों के बीच बाल श्रम में गिरावट लड़कों की तुलना में केवल आधी ही थी।

आईएलओ ने चार प्रणालीगत विफलताओं को इंगित किया है जो प्रगति की कमी को दर्शाते हैं। खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार, साथ ही साथ काम की न्यूनतम आयु पर वैश्विक सम्मेलनों को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय कानून का अभाव है। तथ्य यह है कि दो उपकरणों के अनुपालन में सबसे बड़ी कमी देखी गयी है, जो वैश्विक प्रतिबद्धताओं और घरेलू प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य की कमी को दर्शाता है। यहां प्रासंगिक कानूनों के बीच अन्तराल पर शोध किया गया है जो रोजगार के लिए न्यूनतम आयु और अनिवार्य विद्यालय शिक्षा को पूरा करने की मांग करते हैं। इसका भी मतलब है कि गुणवत्ता सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा का विस्तार वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति से परे है।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रभावी श्रम निरीक्षण की कमी है, कानूनी विसंगतियों को पूरा करना। वर्तमान में लगभग 71% कामकाजी बच्चे कृषि क्षेत्र में संलग्नित हैं, जिनमें से 69% बच्चे पारिवारिक इकाइयों में अवैतनिक रूप से काम करते हैं। एक मजबूत कानूनी रूपरेखा जो गलत कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश देती है और युवाओं और वयस्कों की भर्ती बच्चों के संरक्षण की गारंटी देने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

संबंधित तथ्य

बाल श्रम या बाल मजदूरी क्या है?

- बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक घटना है।
- जहां तक भारत का संबंध है, ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा है क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपने माता-पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारम्भिक कार्यों में मदद कराते हैं। एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की जरुरत है, वो है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रुप है। बंधुआ मजदूरी का अर्थ, माता-पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायेगी के कारण, कर्ज के भुगतान के लिये बच्चों को मजदूरों के रुप में कार्य करने के लिये मजबूर करना है।

यूनीसेफ ने बाल मजदूरी को 3 श्रेणी में विभाजित किया है:

1. परिवार के साथ- बच्चे घर के कार्यों में बिना किसी वेतन के लगे होते हैं।
2. परिवार के साथ पर घर के बाहर- उदाहरण के लिए, कृषि मजदूर, घरेलू मजदूर, सीमान्त मजदूर आदि।
3. परिवार से बाहर- उदाहरण के रुप में, व्यवसायिक दुकानों जैसे: होटलों में बच्चों से कार्य कराना, चाय बेचने का कार्य कराना, वैश्यावृति आदि।

बाल मजदूरी के बढ़ने के कारण

- अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण हैं जो इस मुद्दे के प्रमुख यंत्र है।
- अत्यधिक ऋण जाल से ग्रस्त माता-पिता, सामान्य बचपन के महत्व को अपनी परेशानियों के दबाव के कारण समझने में असफल होते हैं और इस प्रकार ये बच्चों के मस्तिष्क का घटिया भावनात्मक और मानसिक संतुलन को नेतृत्व करता है जो कठिन क्षेत्रों या घरेलू कार्यों को करने के लिये तैयार नहीं होते।
- राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिये बच्चों को भर्ती करती है जो बिल्कुल अनैतिक है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो श्रम-संबंधी समस्याओं/मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिये कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों से इतर एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, अर्थात् इसके पास एक 'त्रिपक्षीय शासी संरचना' है, जो सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का (सामान्यत: 2:1:1 के अनुपात में) इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करती है।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु यह सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है।
- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' की एक एजेंसी के रूप में सन् 1919 में की गई थी।
- भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य रहा है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 186 देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हैं तथा एक अन्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित 'कुक्स द्वीप' (Cook's Island) है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में इसे सर्वोच्च प्रतिष्ठित 'नोबेल शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

संभावित प्रश्न

देश में बढ़ती हुई बाल-श्रमिकों की संख्या देश के सम्मुख एक गहरी चिंता का विषय बनी हुई है। यदि समय रहते इसको नियंत्रण में नहीं लाया गया, तब इसके दूरगामी परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)

The number of increasing number of child laborers in the country has remained a matter of grave concern before the country. If it was not brought under control in time, its far-reaching consequences can be very frightening. Analyze this statement. (200 words)